कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–स/पर्यावरण/वो–2/2022–23 दिनांक : 22.06.2023

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा।

विषय :– हरित पाठशाला कार्यक्रम के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर का पत्रांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/2023–24/1832 दिनांक : 13.06.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के प्रासंगिक पत्र द्वारा हरित पाठशाला कार्यक्रम के सम्बन्ध में लिखा गया है।

पत्रानुसार हर वर्ष की भांति सत्र : 2023–24 में भी हरित पाठ्शाला कार्यक्रम के तहत समस्त संस्थाप्रधानों द्वारा एसएमसी/एसडीएमसी के सहयोग से विद्यालय में गड्डे खुदवाकर पौधे रोपित करने का कार्य पूर्ण किया जाना है। उक्त कार्य को राजकीय विद्यालयों के साथ कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में किया जा कर इसकी प्रविष्टि शालादर्पण पोर्टल पर की जानी है।

अतः उल्लिखितानुसार प्रासंगिक पत्र मय संलग्नकों के संलग्न कर लेख है कि प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न :– यथोक्त।

Rajasthan Education Department

(डॉ. अरूण कुमार शर्मा)
स्टाफ ऑफिसर
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाते हुए समस्त संस्था–प्रधानों को ई–मेल प्रेषित करवाने बाबत।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
5. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
6. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
7. समस्त संस्था–प्रधान।
8. रक्षित पत्रावली।

स्टाफ ऑफिसर
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Arun Kumar
Designation : District Education Officer
Date: 2023.06.21 19:21:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4100369

PS/mail/627/23
14/6/23

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
email : cmsmsa2018@gmail.com
फोन नं. 0141-2709114 फैक्स: 0141-2701822

दिनांक : 13/6/2023

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/ 2023-24/ 1832

मुणावत्ता (प्रा-II)
14/6/23

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा
समस्त जिला

विषय– हरित पाठशाला कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–परिषद् दिशा–निर्देश क्रमांक 12304 दिनांक 21.02.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित दिशा–निर्देश अनुरूप हर वर्ष की भाँति सत्र 2023–24 में भी हरित पाठशाला कार्यक्रम के तहत समस्त संस्थाप्रधान द्वारा एसएमसी/एसडीएमसी के सहयोग से विद्यालय में गड्डे खुदवाकर पोधे रोपित करने का कार्य पूर्ण किया जाना है।

अतः आप अपने अधीनस्थ सभी संस्थाप्रधान को निर्देशित करें कि समस्त राजकीय विद्यालयो एवं कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयो में पौधे रोपित करवाकर इसकी प्रविष्टि शालादर्पण पोर्टल पर कर सूचना परिषद् कार्यालय को भी अवगत करवाना सुनिश्चित कराये।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(डॉ. मोहन लाल यादव)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/हरित पाठशाला/2023–24/1832 दिनांक : 13/6/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. अंति. राज्य परियोजना निदेशक – द्वितीय, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. उपायुक्त, (शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को देकर लेख है कि शालादर्पण पोर्टल पर हरित पाठशाला कार्यक्रम मॉड्यूल में सत्र 2023–24 हेतु प्रविष्टि का कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
7. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by Dr Mohan Lal Yadav
Designation : State Project Director
Date: 2023.06.13 18:41:27 IST
Reason: Approved

Rajasthan Education Department

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141–2701822

दिनांक : 21/6/19

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति / एसएमसी / 2018–19 / 12304

हरित पाठशाला कार्यक्रम हेतु दिशा–निर्देश

प्रस्तावना : –

वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों के लगातांर दोहन एवं वन क्षेत्रों की कमी से पर्यावरण का सन्तुलन बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण सन्तुलन को बनाये रखने के लिये विद्यालय स्तर पर ही छात्र–छात्राओं में पर्यावरण की समझ पैदा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण की कार्ययोजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय वाटिका एवं हरित विद्यालय योजना प्रारंभ कर विद्यालयों में इसे लागू किया जाना है।

उद्‌देश्यः –

1. पर्यावरण की समझ पैदा करना।
2. पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझना।
3. पर्यावरण संरक्षण द्वारा वातावरण को स्वच्छ बनाना।
4. समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के कार्य से जोड़ना।
5. वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण।
6. विद्यालय की सहशैक्षिक गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को अनिवार्य करना।

गतिविधियाँ : –

1. विद्यालय परिसर, खैल मैदान एवं विद्यालय के 200 मीटर की परिधि के क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य।
2. विद्यालय में वातावरण निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे– पर्यावरण संरक्षण से संबंधी वार्ताएं, निबंध प्रतियोगिता, रोलप्ले, रैली, शैक्षिक भ्रमण आदि।
3. विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय वाटिका क्लब या हरित विद्यालय क्लब जैसे– समुहों का गठन करना व इको क्लब को सकिय करना।
4. कम से कम 2 छात्र–छात्राओं (कक्षा 12 के छात्रों के अलावा) एवं उनके शिक्षकों को पौधे की देखभाल हेतु गोद देना।
5. विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी/पीटीए तथा पूर्व छात्र–छात्राओं को भी इस कार्यकम से जोडकर उनसे भी वृक्षारोपण करवाना तथा उनकों भी पौधे गोद देना।

संस्था प्रधान के दायित्व : –

1. समस्त विद्यालयों में वृक्षारोपण कार्यकम की प्रभावी मॉनीटरिंग तथा वृक्षारोपण कार्यकम का आयोजन।
2. ग्राम सभा की बैठक में गड्डे खुदवाने हेतु प्रस्ताव रखवाना।
3. पंचायत के माध्यम से महानरेगा, एसएफसी, एफएफसी व एसएमसी/एसडीएमसी तथा समुदाय के सहयोग से गड्डे खुदवाना एवं पौधें लगवाना।
4. पौधों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना।

Rajasthan Education Department

5. कार्यक्रम की उचित मॉनीटरिंग करे ताकि कार्यक्रम औपचारिकता बनकर ना रहें।
6. गुणवत्ता युक्त 3 फीट ऊचे पौधें कहाँ से लाने है,उस नर्सरी का चयन कर मॉग प्रस्तुत करें।
7. पौधों/औजारों की खरीद के लिए राशि एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा (स्वैच्छिक अनुदान, अक्षय पेटिका एवं विकास कोष) खर्च की जावें।
8. वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रत्येक माह एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में समीक्षा करना।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दायित्व :–

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा पीईईओ से पाक्षिक फीडबैक एवं मॉनीटरिंग करवाना।
2. ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में वृक्षारोपण हेतु नरेगा अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को विकास अधिकारी से स्वीकृति निकलवाना।
3. ब्लॉक के समस्त विद्यालयों हेतु आवश्यक पौधों की मांग मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना।

माहवार प्रस्तावित गतिविधियाँ

क्र.सं.	गतिविधियाँ	माह
1	• एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक में वृक्षारोपण पर चर्चा। • 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन। • पोधों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड एवं चार दीवारी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।	अप्रैल
2	• वातावरण निर्माण छात्र–छात्राओं व अध्यापकों द्वारा प्रभात फेरी व रैली का आयोजन। • विद्यालय वाटिका क्लब या पर्यावरण संरक्षण क्लब का कक्षानुसार गठन। • वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारण (पानी की उपलब्धता एवं स्थान को देखते हुए) व विद्यालय का नजरी नक्शा बनाना। • विद्यालय में सहशैक्षिक गतिविधियाँ यथा– निबंध प्रतियोगिता, रोलप्ले आदि का आयोजन। • संसाधनों का आंकलन व योजना निर्माण जैसे विद्यालय के खाली परिसर के अनुपात में गड्डे खुदवाना तथा पौधों की व्यवस्था करना।	15 मई तक
3	• प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम पंचायत से संपर्क करना(नरेगा/एसएमसी/एसडीएमसी) • 20 से 25 जून तक वृक्षारोपण हेतु गड्डे खुदवाना।	जून
4	• प्रथम सप्ताह में (मानसुन के अनुसार) विद्यालय स्तर पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करना। • एसएमसी/एसडीएमसी के सदस्यों की वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की जाए। • स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर वृक्षारोपण करावें। • कक्षा एवं विद्यार्थी समूह को पौधें गोद देकर उनका संरक्षण सुनिश्चित करवाना तथा शिक्षकों को समूह का प्रभारी नियुक्त करना। • विद्यालय के किसी एक शिक्षक अथवा शारीरिक शिक्षक को वृक्षारोपण प्रभारी नियुक्त करना। • विद्यालय के अनुपयोगी पानी को पौधों के लिए उपयोग हेतु कार्ययोजना बनाना। • विद्यालय वाटिका/किचन गार्डन का निर्माण करना।	10 जुलाई तक
5	• पौधों के नाम व बायोलोजिकल नाम का टेग बनाकर पौधों के पास लगवाना। • पीटीए की बैठक में विद्यालय वृक्षारोपण कार्यक्रम की जानकारी देना।	अगस्त

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

6	• 16 सितम्बर को ओजोन दिवस के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। • एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा एवं भामाशाह सहयोग हेतु प्रयास।	सितम्बर
7	• लगाये गये पौधों में से मृत पौधों के स्थान पर नये पोधों को लगाना एवं उनकी पुनः जिम्मेदारी देना।	अक्टूबर
8	• 26 नवम्बर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस का आयोजन करना जिसमें विभिन्न गतिविधियाँ वन भ्रमण, पर्यावरण संरक्षण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय का भ्रमण, रंगोली, पोस्टर निर्माण आदि गतिविधियों का आयोजन कर कम से कम 3 फोटो परिषद् कार्यालय को प्रस्तुत करना।	नवम्बर
9	• शीतकालीन अवकाश में पौधों की सार–संभाल हेतु विशेष कार्यदलों का गठन (छात्र, शिक्षक, एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों में से)	दिसम्बर
10	• 26 जनवरी के दिन वृक्षारोपण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यार्थियों, अध्यापको, एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों व भामाशाहों का सम्मान करना।	जनवरी
11	• ब्लॉक निष्पादन समिति में समस्त पीईईओ के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा करना।	फरवरी
12	• निर्धारित प्रपत्र में सूचना पोर्टल पर आदिनांक तक करें।	मार्च

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
जयपुर

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/सामु.गति/2018–19/12305 दिनांक 21/2/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार।
2- निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4- निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
5- निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर।
6- निदेशक सीमेट, जयपुर।
7- निदेशक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग।
8- आयुक्त एमडीएम, जयपुर।
9- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, द्वितीय, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
10- उपायुक्त समस्त, राज. स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर।
11- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
12- शालादर्पण/शालादर्शन को देकर लेख है कि दिशा–निर्देश को सभी को पहुचाना सुनिश्चित करे।
13- समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज. स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर।
14- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिला।
15- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिला।
16- प्राचार्य डाइट, समस्त जिले।
17- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक, राजस्थान।
18- समस्त पीईईओ।
19- समस्त संस्था प्रधान।
20- रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद
जयपुर

Rajasthan Education Department

हरित पाठशाला कार्यक्रम प्रपत्र

1- क्या वृक्षारोपण हेतु एंसएमसी/एसडीएमसी के सहयोग से योजना बनायी गई–
हॉ/नही

2- विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु नियुक्त प्रभारी का नाम –
सलेक्ट स्कूल लिस्ट.................................... नाम..............................

3- क्या वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध है तो–

i. यदि हॉ तो भूमि का विवरण– परिसर/खेल मैदान

ii. यदि नहीं है तो विद्यालय चारदीवारी के बाहर के क्षेत्र का निर्धारण कर लिया है– हॉ/नहीं

4- उपलब्ध भूमि के आधार पर लगाये जाने वाले पौधों की संख्या........................

5- पौधे प्राप्त करने हेतु एजेन्सी/नर्सरी का निर्धारण कर लिया है– हॉ/नहीं

6- क्या पोधों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है–

–सभी पौधों

–आंशिक की

–किसी की भी नहीं

7- क्या विद्यालय द्वारा पौधारोपण हेतु गड्डे खुदवा लिये गये है– हॉ/नहीं

8- क्या प्रत्येक पौधे के लिए विद्यार्थी व अध्यापक का निर्धारण किया गया है–
हॉ/नहीं

9- सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन दिनांक..

10-वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान रोपित किये पौधों की संख्या........................

11-पौधों हेतु पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है – हॉ/ नहीं

12-रोपित पोधों में से द्विमासिक आधार पर पौधों की प्रगति–

–सितम्बर माह में जीवित पौधों की संख्या..............

–दिसम्बर माह में जीवित पौधों की संख्या.............

–मार्च माह में जीवित पौधों की संख्या.............

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते